

संचिका सं०-10/यो०-1-01/2015 (पार्ट)

बिहार सरकार


स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय आवंटनादेश संख्या-20(10)ब, दिनांक-22.12.2017 में अधोलिखित संशोधन किया जाता है:-

2. आवंटनादेशों में अंकित "आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है" के स्थान पर "आवंटन दी जाती है" पढ़ा जाय।


3. शेष यथावत रहेंगे।


13/13/18
(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-10/यो०-1-01/2015 (पार्ट) 1501 (10)/स्वा०, पटना, दिनांक:-13/03/2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


13/13/18
सरकार के विशेष सचिव।
N. K. Choudhary